

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

सं० सं०-17/विविध 1-218/2022 पटना, दिनांक :- / / 2025

विभागीय आदेश सं०-651(17), दिनांक-17.06.2025 के क्रम सं०-08 पर अंकित डा० अनुपम कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी को संशोधित रूप से डा० अनुपम कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी पढा जाय।

2. उक्त आदेश संख्या-651(17), दिनांक-17.06.2025 के शेष भाग यथावत् रहेंगे।

ह०/-  
(रेणु कुमारी)  
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक- 17/ विविध 1-218/2022-8/2(17) पटना, दिनांक :-29/07/2025

प्रतिलिपि — महालेखाकार (ले० एव ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि — संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

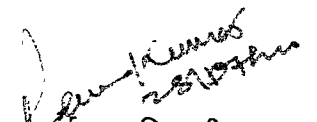
प्रतिलिपि :- संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित जिला पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० अनुपम कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव /अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03, 08, 09, 17 एवं 18A, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी०मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी।